न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 112/2015

1. जगदीश पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुरेन्द्र पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जलफूल (मृतक)
   3/1 गुडडीदेवी पत्नी जलफूल
   3/2 पवन कुमार पुत्र जलफूल
   3/2 युवराज पुत्र जलफूल
   निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. रमेश कुमार
5. श्योनारायण
6. श्योप्रकाश

   पिसरान श्योकरण जाति जाट निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलांट्स

बनाम

महेन्द्र पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी गांव महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 03.06.2015

उपस्थित–

श्री रामप्रकाश गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 31.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट्स ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके

3/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 के तहत पेश कर चक 1 एच.एच. के मु.नं. 8 के कि.नं. 21 से 25 की 5 बीघा व 16 के साढे सतरह बिस्वा कुल 5 बीघा साढे सतरह बिस्वा भूमि अप्रार्थी रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें। प्रा.पत्र पेश होने पर अप्रार्थी को तलब करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश नहीं किया गया। अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.03.2015 में यह अंकित है कि मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर भेजी हुई है, तत्पश्चात दिनांक 03.06.2015 को यह आदेश पारित किया कि मूल दावे के अनुसार इसमें अग्रिम कार्यवाही की जावेगी एवं पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र का निर्णय करना चाहिए था। यदि कोई पत्रावली नहीं थी तो उसे तलब कर पक्षकारों को सुनकर निर्णय करना चाहिए था जो अधी. न्यायालय द्वारा नहीं किया है जबकि वकील रेस्पों. ने कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पत्रावली मूल वाद के साथ शामिल करने के आदेश दिये हैं। पत्रावली आने के पश्चात अधी. न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा सकता है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रा.पत्र पेश नहीं किया गया। अधी. न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 18.03.2015 में यह अंकित है कि मूल पत्रावली राजस्व मण्डल में भेजी हुई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली प्राप्त होने तक प्रकरण को विचाराधीन रखना चाहिए था या फिर दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अधी. न्यायालय द्वारा न्यायोचित निर्णय पारित नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2015 निरस्त कर, प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सम्बन्धित

3/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पत्रावली तलब कर, अप्रार्थी से जबाब प्राप्त कर प्रकरण का निर्णय दोनों पक्षों को सुनकर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.1.18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर